उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

सरफेसी वाद सं0–54/2019–20

Allahabad Bank, B.S. City, Bokaro

बनाम्

M/s Rudra Enterprises

–: आदेश :–

11.02.2022

प्राधिकृत पदाधिकारी, Allahabad Bank B.S. City, Bokaro द्वारा धारा 14 (1) and (2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSESTS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 (SARFAESI) के तहत विपक्षी M/S Rudra Enterprises Prop. 1. श्रीमति ममता पाण्डेय पति प्रेमनाथ पाण्डेय 2. प्रेमनाथ पाण्डेय पिता पारस नाथ पाण्डेय दोनो पता सा0–कुवॅर सिंह कॉलोनी, चास, बोकारो 3. श्री राजू पाण्डेय पिता अवध किशोर पाण्डेय सा0–बी0–10, हनुमान मार्केट, कुवॅर सिंह कॉलोनी, चास बोकारो के विरूद्ध बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति/भूमि पर दखल–कब्जा प्राप्त करने के लिए आवदन पत्र दाखिल किया गया है।

फलस्वरूप उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ करते हुए उभय पक्षों को अपना–अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

प्रथम पक्ष Allahabad Bank B.S. City, Bokaro की ओर से प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा दाखिल आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है कि विपक्षी ने अपनी सम्पत्ति (1. Khata No. 18, Plot no. 966 Mouza-Telidih, Thana Chas, Thana No. 34, Anchal- Chas Bokaro, Area-2.95 dec. pertaining to Regd. Sale deed no. 6221 dated 21.08.09 executed in favour of Prem Nath Pandey at DSR Bokaro. 2.) Khata No. 18, Plot no. 966 Mouza-Telidih Thana Chas, Thana No. 34 Anchal- Chas Bokaro, Area-2.95 dec. pertaining to Regd. Sale deed no. 6222 dated 21.08.09 in favour of Prem Nath Pandey at DSR Bokaro.) को गिरवी रखते हुए बैंक से रूपये 20,00,000.00 (बीस लाख) ऋृण लिया गया था जिसे अब तक उनके द्वारा नहीं चुकाया गया है। उनके द्वारा ऋृण की वापसी में अनियमितता बरती गई है, जिसके कारण ऋणकर्त्ता का खाता दिनांक–27.01.2019 को ही एन0पी0ए0 हो गया है। दिनांक–02.09.2019 तक ऋणकर्त्ता पर कुल रूपये 23,01,546.00 का बकाया है। ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI ACT–2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई के बावजुद भी विपक्षी की ओर से बकाया राशि की वापसी की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया है। फलस्वरूप SARFAESI ACT–2002 की धारा–14 (1) & (2) के तहत विपक्षी की सम्पत्ति पर

7

दखल–कब्जा प्राप्त करने में शांति व्यवस्था भंग नहीं हो इसके लिए उनके द्वारा पुलिस बल की माँग की गई है।

द्वितीय पक्ष सुनवाई के दौरान लगातार पुकार पर अनुपस्थित है।

मुख्य प्रबंधक द्वारा दाखिल आवेदन पत्र एवं अभिलेख में संधारित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी के द्वारा ऋण की राशि वापस करने के लिए अब तक कोई ठोस पहल नहीं किया गया और न ही उनके द्वारा अब तक ऐसा कोई आधार/साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, जिससे प्रतीत हो कि उनके द्वारा ऋण की राशि वापस कर दी जाएगी। विपक्षी का लगातार अनुपस्थित रहना उनके ऋण न चुकाने की मंशा को दर्शाता है।

वर्णित परिस्थिति में प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल आवेदन एवं उसके साथ संलग्न कागजातों के आधार पर SARFAESI ACT–2002 की धारा 14(1) एवं (2) निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी Allahabad Bank B.S. City, Bokaro द्वारा किए गए अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि पर दखल–कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति भंग न हो इसके लिए विधि–व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस अधीक्षक, बोकारो एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, चास आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगें।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

11.2.2022

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

11.2.2022

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2025.02.21 16:59:23 +05:30
Location: 192.168.1.109